T.D.C- Part-2 Paper-III
Dr. Reshma Sultana
Assistant Professor
Dept of Philosophy
Vaishali Mahila College B.R.A.B.U

Futuremate

Topic - Theories of punishment - Retributive (प्रतिकारवाद)

आदिम युग से ही दंड एवं पुरस्कार (punishment and Reward) के सिद्धान्त का उल्लेख पाया जाता है। अच्छे या शुभ कर्मों के लिए व्यक्ति को पुरस्कार तथा बुरे या अशुभ कर्मों के लिए दंड की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। हम अच्छे कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं पुरस्कार पाने के लिए तथा कर्मों से दूर रहते हैं दंड या सजा से बचने के लिए। दंड के विभिन्न सिद्धान्त पाए जाते हैं। प्रतिकारवाद, निवर्तनवाद तथा सुधारवाद। अपराधी को सजा मिलना एक नैतिक आवश्यकता है। दंड देने का एक लक्ष्य यह भी रहता है कि इससे डरकर अन्य व्यक्ति अपराध न करें और समाज में अपराध पर रोक लग सके। आधुनिक युग में दंड का लक्ष्य व्यक्ति या अपराधी को सुधारना माना गया है। इसी प्रसंग में मृत्यु-दंड के औचित्य एवं अनौचित्य पर भी प्रकाश डाला गया है।

दंड के प्रमुख सिद्धान्त (Main Theories of Punishment)

नैतिकता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को उसके शुभकर्मों के लिए पुरस्कार और अशुभ कर्मों के लिए दंड दिया जाए। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और दंड से बचने के लिए व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता है। बेंथम और मिल ने दंड और

Scanned by CamScanner

Futuremate

DATE

पुरस्कार को नैतिक प्रेरणा कहा है। दंड को "नैतिकता की बाह्य निषेधात्मक स्वीकृति" (External negative sanction of morality) भी कहा जाता है।

प्रतिकारवाद (Retributive Theory) → इस सिद्धान्त के अनुसार दंड एक न्यायोचित व्यापार है। दंड का लक्ष्य नैतिक नियम की उच्चता तथा प्रभुता की रक्षा और दोषी को दंडित करना है। जब कोई अपराधी नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है, तब न्याय का तकाजा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए और नैतिक नियमों की प्रतिष्ठा एवं प्रभुता कायम रखनी चाहिए। नैतिक नियम सर्वोच्च प्रभुसत्ता है। इसलिए इसे भंग करनेवाला निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। यदि अपराधी को सजा नहीं दी जाती, तो नियमों का प्रभुसत्ता और गरिमा खतरे पर आँच आती है।

= x =

PAGE